


4-12-19..

पत्रावली आज पेश हुई।

अपीलेंट द्वारा यह अपील अक्टूबर
 द्वारा 19(1) सूचना का अधिकाधिक अधि
 2005 के तहत प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा बौद्धिक
 सूचना उपलब्ध कराने हेतु लोक सूचना
 अधिनियम (1987) सेज्ज के निर्देशित कराने हेतु
 विवेक विचार किया गया है। इस आमानस्य द्वारा
 लिखा जाते था उन्होंने अपने पत्रांक संख्या
 2019/163 दिनांक 21-10-19 की प्रति प्रेषित
 कर अग्रगत कराया कि अपीलेंट द्वारा बौद्धिक
 सूचना RI स्वामित्व की दैतिक डायरी अधिव
 गारंटी सारोश की प्रतियां उपलब्ध करा दीं
 लोक सूचना अधिनियम 1987 सेज्ज द्वारा बौद्धिक
 सूचना उपलब्ध करा दिए जाते हैं इस प्रकार
 में किसी प्रकार की कार्यवाही बंध नहीं रहती।
 अतः प्रकरण इस आमानस्य से अग्रगत केवल
 एक नमूना से कम है।


 जिला कलेक्टर, बाली